न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
16/2020	प्रा.पत्र 251-A RTA	03.12.2020	14.03.2024

1. भूरा राम पुत्र सांवला राम जाति जाट निवासी ग्राम बीनासर तहसील जिला चूरू(राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. श्यामा राम पुत्र मोती राम जाति नायक निवासी बीनासर तह. जिला चूरू
2. डूंगर मल पुत्र मोहन राम जाति जाट निवासी बीनासर तह. जिला चूरू
3. कन्नोज पुत्री दुर्गाराम जाति जाट निवासी बीनासर तह व जिला चूरू
4. धर्मपाल पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरू
5. प्रदीप पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरू
6. राजपाल पुत्र दुर्गा राम जाति जाट निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरू
7. सुभिता पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरू
8. सरीता पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरू
9. सलोली पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरू
10. प्रबंधक पंजाब नेशन बैंक शाखा ग्राम बीनासर तहसील व जिला चूरू
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री हसनखां प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार राजपुरोहित अप्रार्थी सं. 1,2
3 अधिवक्ता श्री मो. आरिफ अप्रार्थी संख्या 3 ता 9

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की दादालाई कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 465 रोही ग्राम बीनासर तहसील चूरू में स्थित है जिसका विरासतन नामान्तरण व खाता विभाजन हो जाने के पश्चात् प्रार्थी के खातेदारी हिस्सा में आई कृषि भूमि के खसरा संख्या 728/465 हो गये जो 7.7269 हैक्टेयर है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त व खातेदारी विरासतन नामान्तरण व खाता विभाजन चला आया है।

प्रार्थी की उक्त खस[illegible] लिए गांव बीनासर से कटानी रास्ता खसरा संख्या 468 जोहड़ पायतन की भूमि [illegible] जिस जोहड़ पायतन की भूमि में आता है जिस जोहड़ पायतन की भूमि के [illegible] संख्या 01 श्यामा राम पुत्र मोती राम जाति नायक निवासी [illegible] चूरू की कृषि खेत ख[illegible]संख्या 757/466 की दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे होते हुए अप्र[illegible] संख्या 02 डूंगर मल पु[illegible]न राम के खेत खसरा संख्या 730/465 तथा अप्रार्थीगण संख्या 03 ता 09 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:28 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 729/465 की सींव के सहारे–सहारे प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 728/465 तक सदामत से जाती रही जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 03 ता 09 अपने–अपने खेतों में आवागमन करते चले आये ।

प्रार्थी व अन्य खातेदारो की कृषि भूमियों में आवागमत के लिए साधनों का विस्तार होने पर प्रार्थी व अन्य खातेदारों ने मिलकर अप्रार्थी संख्या 01 श्यामा राम पुत्र मोती राम से उसकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 757/466 में से सदामत से चली आ रही उक्त पगडंडी के साथ पगडंडी के अतिरिक्त आठ फीट चौड़ा रास्ता के लिए भूमि दिनांक 18.03.2000 को 18000/रूपये में उक्त श्यामाराम से खरीद कर प्रार्थी के भतीजे अप्रार्थी संख्या 06 राजपाल पुत्र दुर्गाराम के लिए खरीद कर प्रार्थी के भतीजे अप्रार्थी संख्या 06 राजपाल सभी खातेदार करते चले आ रहे है।

प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 728/465 में आवागमत के लिए उक्त खसरान भूमियों में से जाने के अलावा किसी प्रकार का दूसरा रास्ता अथवा विकल्प नहीं है। प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए उक्त खसरान भूमियों में से जाने के अलावा किसी प्रकार का दूसरा रास्ता अथवा विकल्प नहीं है। प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए राजस्व रिकॉर्ड में अभिलेखित रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को सरकार से कृषि भूमि के लिए मिलने वाली सहायता व अनुदान से वंचित रजना पड़ रहा है तथा उक्त पगडंडी व रास्ता की चौड़ाई काफी कम होन व राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण पक्षकारों के मध्य विवाद रहता है।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 ता 09 को कई दफा कहा व कहलवाया कि सभी खातेदारान आपसी सहमति से रास्ता का विस्तार करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम/दर्ज करवा लेंवे ताकि सभी खातेदारान को अपनी–अपनी कृषि भूमियों के उपयोग उपभोग व आवागमन में किसी प्रकार की समस्या ना हो तथा आपसी विवाद न हो मगर अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13.11.2020 को ऐसा नहीं करने के लिए इन्कार कर दिया जिससे विवाद उत्पन्न हो गया जिसके विरूद्ध प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है।

यह कि प्रार्थी खसरा संख्या 468 जोहड़ पायकत की भूमि से शुरू कर राजपाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 श्यामाराम के खेत खसरा संख्या 466 पुराना वर्तमान खसरा संख्या 757/466 में रास्ता के लिए उक्त श्यामाराम से दिनांक 18.03.2000 को खरीद की गई भूमि को शामिल करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 श्यामाराम की भूमि खेत खसरा संख्या 757/466 में से दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे तथा अप्रार्थी संख्या तथा अप्रार्थी संख्या 03 ता 09 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 729/465 में से उतरी सींव के सहारे–सहारे प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 728/465 तक संलग्न नजरी नक्शा में जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है के अनुसार 16 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अभिलेखित करवाना चाहता है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमियां पंजाब नेशनल बैंक शाखा ग्राम बीनासर के रहन होने से बैंक को बतौर पक्षकार अप्राथ्री संख्या 10 बनाया गया है। उक्त खेत में जाने के लिए पगडंडी व खरीद किया हुआ रास्ता कम पड़ रहा है इसलिए इस रास्ता और विस्तार किया जाना आवश्यक हो गया हे [illegible] आवश्यकता हो गई है। इस लिए इस रास्ता का विस्तार कर 16 फीट चोड़ा रास्ता [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया [illegible]

अतः श्रीमानजी के स[illegible] निवेदन है कि खसरा संख्या 468 जोहड़ पायतन की भूमि में से होकर अप्रार्थी संख्या [illegible] श्यामाराम के सहारे–सहारे होते हुए अप्रार्थी संख्या 02 डूंगर मल के खेत खसरा संख्या 730/465 में से दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:28 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण संख्या 03 ता 09 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 729/465 में से उतरी सींव के सहारे–सहारे प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 728/465 तक संलग्न नजरी नक्शा में जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है के अनुसार 16 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र न्यायाल के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 03 ता 09 की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ ने वकालतनामा पेश किया व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी संख्या 03 ता 09 की ओर से प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 03 ता 09 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 729/465 रोही बीनासर में आवागमन के लिए अप्रार्थी संख्या 02 के खेत खसरा संख्या 757/466 रोही बीनासर की दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे एक पगडंडी सदामत से जाती रही है जिससे अप्रर्थीगण संख्या 02 ता 09 अपने–अपने खेतों में आवागमन करते चले आये

प्रार्थी वह अन्य खातेदारों की कृषि भूमियों में आवागमन के लिए साधनों का विस्तार होने पर प्रार्थी व अन्य खातेदारों ने मिलकर अप्रार्थी संख्या 01 श्यामाराम पुत्र मोती राम से उसकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 757/466 खसरा संख्या 466 पुराना में से सदामत से चली आ रही है उक्त पगडंडी के साथ पगडंडी के अतिरिक्त 08 फीट चौड़ा रास्ता के लिए भूमि दिनांक 18.03.2000 को 18000/– रूपये में उक्त अप्रार्थी संख्या 01 श्यामाराम से खरीदकर अप्रार्थी संख्या 06 राजपाल पुत्र दुर्गाराम के नाम से लिखा पढी करवाई गई। जिसका उपयोग उपरोक्त सभी खातेदार करते चले आ रहे हैं।

अतः श्रीमनाम के समक्ष जवाब प्रार्थना–पत्र पेश निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये उनुतोष के अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने की स्थिति में अप्रार्थी संख्या 03 ता 09 को कोई आपति या एतराज नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 11 की ओंर से प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया हे कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने की स्थिति में अप्रार्थी संख्या 11 कोई एतराजं नहीं हैं।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत जवाब इस प्रकार है कि दावा / प्रार्थना पत्र में अंकित रकबा खसरा नम्बर 728/465 व 729/465 एक ही परिवार का रकबा है जिनका खसरा टूटने के 02 नम्बर बने है तथा उक्त रकबा का रास्ता जोहड़ में से मेरी सींव के सहारे जोहड़ भूमि में से डूंगर राम के सहारे–सहारे जोहड़ में खसरा नम्बर 729/465 में से चला आ रहा है अप्रार्थी उत्तराता के खेत में कभी नहीं रहा है।

एक वर्ष के लिए एक बार जाने–जाने के लिए लिखा पढी अन्य व्यक्तियों को की थी जो प्रार्थी के साथ कभी भी नहीं की थी तथा धारा 42 आर.टी. एक्ट के ताम्बे अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ बैनामा हो ही [illegible] जाति के व्यक्ति की जमीन हड़पने की नियत से परिवाद प्रार्थना–पत्र लाया गया [illegible] ज काबिल है।

अप्रार्थी संख्या 02 की [illegible] इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 728/465 व खसरा नम्बर [illegible] के नम्बर है तथा इनका पुराना रास्ता जोहड़ में श्यामाराम के खेत के सहारे–सहा[illegible] खसरा नम्बर 730/465 के सहारे–सहारे 729/465 में से गुजरता है तथा आवागमन जारी है उतरदाता के खेत में से कभी भी कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:28 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता प्रार्थीगण का नहीं रहा है। इस दावे की आड़ में प्रार्थी रास्ता हड़पना चाहता है जबकि प्रार्थी का रास्ता जोहड़ में से खसरा नम्बर 729/465 में से है।

तहसीलदार चूरू से प्राप्त रिपोर्ट इस प्रकार हैं कि

1. प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है।
2. प्रार्थी के खसरा नम्बर 728/465 व 729/465 रोही ग्राम बीनासर में जाने हेतु अन्य कोई मार्ग नहीं है।
3. प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं लघुतम है व प्रस्तावित रास्ते का टेस नक्शा संलग्न है।
4. प्रार्थी व अप्रार्थी को मौके पर बुलाकर उनके समक्ष प्रस्ताव तैयार किया गया।
5. प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों पक्ष मौके पर उपस्थित थे।
6. प्रस्तावित रास्ते का प्रस्ताव मौके पर भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा पटवारी की उपस्थिति में तैयार किया गया।
7. प्रस्तावित रास्ते को आसा–पासा सहित नजरी नक्शा संलग्न है।

अप्रार्थी श्यामलाल पुत्र –मोती राम खसरा नम्बर 757/466 अपने दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे 10 फीट चौडा व 644 फीट लम्बा रास्ता देने हेतु सहमत है। खसरा नम्बर 430/465, 729/465 व 728/465 प्रार्थी भी अप्रार्थी द्वार दिये गये रास्ते से सहमत है।

तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र व अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ।

पत्रावली, पेश दस्तावेजात्, तहसीलदार, चूरू द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव एवं दोनों पक्षों द्वारा तहसीलदार चूरू द्वार प्रस्तावित रास्ता कपर सहमति के अवलोकन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही सही प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से होती है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी खेतों तक पहुंचने के लिए चाहे गये रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेतों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन (कटानी मार्ग) का अभाव है तथा प्रार्थीगण द्वारा सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहा गया है क्योंकि प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम दूरी का है। वादगत कृषि भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमियां हैं। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमियों में आवागमन के लिए रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक साधनों का अभाव है। साथ ही प्रस्तावित रास्ता केवल आवश्यकता के लिए चाहा गया है न कि सुविधा के लिए तथा प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत प्रावधान है कि दिया जाने वाला रास्ता 30 फुट से अनधिक चौड़ाई वाला होगा। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 10 फीट दर्शित की गई है तथा लम्बाई 466 फीट दर्शित की गई है जबकि प्रार्थीगण द्वारा 16 फीट चौड़ाई वाले रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्ता[illegible] जाने में प्रार्थी एवं अप्राथीगण सहमत हैं इसलिए तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावि[illegible] रास्त[illegible] दिया जाना न्यायोचित है। । इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धा[illegible] में कवर होने एवं उभय पक्षकारान की सहमति होने से स्वीकार[illegible]

अ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:28 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर उभय पक्षकारों की सहमति के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 728/465 रोही ग्राम बीनासर में आवागमन हेतु अप्रार्थी श्यामलाल पुत्र –मोती राम खसरा नम्बर 757/466 अपने दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे 10 फीट चौडा व 644 फीट लम्बा रास्ता व खसरा नम्बर 730/465 के दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे व खसरा नम्बर 729/465 की उतरी सींव के सहारे–सहारे व खसरा नम्बर 728/465 की दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे रास्ता तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश नजरी नक्शा में दर्शितानुसार कटानी अंकित करते हुए राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाकर नक्शा में तरमीम की जावे। उक्त नजरी नक्शा भविष्य में आदेश का भाग माना जावेगा। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि रहन मुक्त होने पर की जावे। प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 03 ता 09 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के खेत से जाने वाली कृषि भूमि की एवज में डी.एल.सी. दर से दुगुनी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 1 को करने पर किया जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्टेट,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:28 IST
Reason: SelfAttested